न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री यशार्थ शेखर आई.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 93 / 2025

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 गोरधनसिंह पुत्र जोगराजसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी बाडमेर गादान तहसील व जिला बाडमेर।		1 तहसीलदार बाडमेर 2 प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बाडमेर गदान तहसील व जिला बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act.

उपस्थिति :–

1 श्री दानसिंह राठौड़, वकील प्रार्थी पक्ष।
2 श्री प्रेम प्रजापत, वकील अप्रार्थी संख्या 02।

आदेश

दिनांक 14.10.2025

संक्षिप्त में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं खातेदारी की भूमि मौजा बाडमेर गदान पटवार हल्का बाडमेर गादान तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 3304 / 2274 रकबा 1.2707 हैक्टेयर भूमि आई हुई है, जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है, जो भूमि प्रार्थी के पिता स्व. जोगा पुत्र सुरा वगैराह के पक्ष में उनका इस भूमि पर लगातार कब्जा काश्त होने से श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी बाडमेर के न्यायालय में मुकदमा संख्या 137 / 1962 दिनांक 18.10.1963 को नियमन की गई थी, जिसकी पालना में दिनांक 08.05.1976 को पटवारी हल्का द्वारा नक्शा ट्रेस में तरमीम कर पास बूक जारी की गई थी, जिसमे सही तरमीम की गई थी। पटवरी हल्का द्वारा दिनांक 19.07.1987 को नक्शा ट्रेस की नकल जारी की गई थी उसमे तरमीम सही जारी की गई थी। प्रार्थी के सेढा सेढ स्थित सरकारी भूमि में से अप्रार्थी संख्या 02 को स्कूल हेतु 05.00 बीघा भूमि विद्यालय भवन निर्माण हेतु राज्य सरकार के पक्ष में दिनांक 13.07.1991 को समर्पित की गई थी, जिस पर तहसीलदार बाडमेर ने अपने आदेश के द्वारा 05.00 बीघा भूमि के नये खसरा नम्बर 2739 / 2274 रकबा 05.00 बीघा भूमि सृजित कर उक्त भूमि को स्कूल के नाम दर्ज की गई तथा खसरा संख्या 2739 / 2274 में जो नजरी नक्शा हे जो परिशिष्ठ 'अ' में बरंग लाल दर्शायी गई के अनुसार मौके पर भूमि आंवटन की गई तथा तहसीलदार बाडमेर ने भी इसी अनुसार स्कूल के पक्ष में नामान्तकरण पारित कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर लठ्ठा ट्रेस में तरमीम करने हेतु आदेशित किया गया। परन्तु राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा आंवटित भूमि [illegible] में स्कूल की भूमि की तरमीम मौके पर मौजूद स्कूल भवन की स्थिति के अनुसार [illegible] लठ्ठा ट्रेस व वास्तविक स्थिति परिशिष्ठ 'अ' में भिन्नता है, जिसके अनुसार मौके पर गलत तरमीम [illegible]रण विवाद है, जिसे प्रार्थी शुद्ध करवाने हेतु माननीय न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत [illegible] है। लिहाजा मौजा बाडमेर गादान पटवार हल्का बाडमेर आगौर तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 3304 / 2274 रकबा 1.2707 हैक्टेयर व खसरा संख्या 2739 / 2274 रकबा 05.00 बीघा भूमि की लठ्ठा ट्रेस में गलत तरमीम को निरस्त करते

Signature Not Verified
Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2025.12.09 17:30:58 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर

हुए मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तथा परिशिष्ठ 'अ' के अनुसार नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम दुरूस्त करने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 को आदेश फरमाया जावे।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील अप्रार्थी संख्या 02 उपस्थित।

वकील अप्रार्थी संख्या 02 ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया कि प्रार्थी के खातेदारी की भूमि मौजा बाडमेर गादान पटवार हल्का बाडमेर आगौर तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 3304/2274 रकबा 1.2707 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थी के सेढा सेढ स्थित सरकारी भूमि में से अप्रार्थी संख्या 02 को स्कूल हेतु 05.00 बीघा भूमि विद्यालय भवन निर्माण हेतु राज्य सरकार के पक्ष में दिनांक 13.07.1991 को समर्पित की गई थी, जिस पर तहसीलदार बाडमेर ने अपने आदेश के द्वारा 05.00 बीघा भूमि के नये खसरा नम्बर 2739/2274 रकबा 05.00 बीघा भूमि सृजित कर उक्त भूमि को स्कूल के नाम दर्ज की गई तथा खसरा संख्या 2739/2274 में जो नजरी नक्शा हे जो प्रार्थी के आवेदन के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' में बरंग लाल दर्शायी गई के अनुसार मौके पर भूमि आंवटन की गई तथा तहसीलदार बाडमेर ने भी इसी अनुसार स्कूल के पक्ष में नामान्तकरण पारित कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर लठ्ठा ट्रेस में तरमीम करने हेतु आदेशित किया गया। परन्तु राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा आंवटित भूमि लठ्ठा ट्रेस में स्कूल की भूमि की तरमीम मौके पर मौजूद स्कूल भवन की स्थिति के अनुसार अर्थात लठ्ठा ट्रेस व वास्तविक स्थिति परिशिष्ठ 'अ' में भिन्नता है, जिसके अनुसार मौके पर गलत तरमीम के कारण विवाद है, जिसे प्रार्थी शुद्ध करवाने हेतु माननीय न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया है। लिहाजा मौजा बाडमेर गादान पटवार हल्का बाडमेर आगौर तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 3304/2274 रकबा 1.2707 हैक्टेयर व खसरा संख्या 2739/2274 रकबा 05.00 बीघा भूमि की लठ्ठा ट्रेस में गलत तरमीम को निरस्त करते हुए मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ठ 'अ' के अनुसार नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम दुरूस्त करने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 को आदेश फरमाया जावे। तहसीलदार बाडमेर से मौके की रिपोर्ट अभिलेख के परिप्रेक्ष्य में तलब की गई।

तहसीलदार बाडमेर के प्रस्तुत पत्रांक भूअ/2025/4067 दिनांक 14.10.2025 द्वारा प्रतिवेदन इस आशय का उपलब्ध करवाया कि मौजा बाडमेर गादान पटवार हल्का बाडमेर आगौर तहसील व जिला बाडमेर स्थित खसरा संख्या 3304/2274 रकबा 1.2707 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2739/2274 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि की तरमीम को दुरूस्त करने हेतु मौके व रेकर्ड की जांच करने पर पाया गया कि वर्तमान में उक्त खसरान की तरमीम संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'ए' अनुसार अंकित है। मौके पर मूल खसरा 2274 के मध्य में एक डामर सड़क बनी हुई है, जिसका राजस्व रेकर्ड में अंकन नहीं है, जो संलग्न नक्शा परिशिष्ठ "बी" मे बरंग लाल के अनुसार है। विद्यालय भवन

उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2025.12.09 17:30:58 IST
Reason: SelfAttested

इस डामर सड़क के पश्चिम दिशा तथा प्रार्थी का कब्जा सड़क में पूर्व दिशा में है। सड़क प्रार्थी के कब्जे मे से निकल रही है। प्रार्थी श्री गोरधनसिंह ने मौके पर ग्राम पंचायत प्रस्ताव की प्रतिलिपि, स्वंय के हक में पारित निर्णय (मुकदमा संख्या 137/1963 दिनांक 24.10.1966 की प्रति एवं विद्यालय को भूमि आंवटन प्रस्ताव के नक्शे की प्रति, प्रार्थी स्वंय के नाम जारी कृषि जोत पास बूक में अंकित तरमीम की प्रतिलिपि पेश की गई। लिहाजा मौके पर प्रार्थी के कब्जे व विद्यालय के निर्मित भवन व प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों अनुसार संलग्न नक्शा परिशिष्ठ ''बी'' के मुताबिक खसरा संख्या 3304/2274, 2739/2274 की तरमीम दुरूस्त किये जाने की अभिशंषा की है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। उभय पक्षों को तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर सुना गया। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि मौजा बाडमेर गादान पटवार हल्का बाडमेर गादान तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 3304/2274 रकबा 1.2707 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2739/2274 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि की तरमीम को तहसीलदार बाडमेर की मौका रिपोर्ट के अनुसार मौके पर प्रार्थी के कब्जे व विद्यालय के निर्मित भवन संलग्न नक्शा परिशिष्ठ ''बी'' के मुताबिक खसरा संख्या 3304/2274, 2739/2274 की तरमीम दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा भी निवेदन किया कि मौजा बाडमेर गादान पटवार हल्का बाडमेर आगौर तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 3304/2274 रकबा 1.2707 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2739/2274 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि की तरमीम को तहसीलदार बाडमेर की मौका रिपोर्ट के अनुसार मौके पर प्रार्थी के कब्जे व विद्यालय के निर्मित भवन संलग्न नक्शा परिशिष्ठ ''बी'' के मुताबिक खसरा संख्या 3304/2274, 2739/2274 की तरमीम दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों तथा तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत ग्राम पंचायत प्रस्ताव की प्रतिलिपि, स्वंय के हक में पारित निर्णय (मुकदमा संख्या 137/1963 दिनांक 24.10.1966 की प्रति एवं विद्यालय को भूमि आंवटन प्रस्ताव के नक्शे की प्रति, प्रार्थी स्वंय के नाम जारी कृषि जोत पास बूक में अंकित तरमीम की प्रतिलिपि एवं मौका फर्द का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका प्रतिवेदन के मद्देनजर मौजा बाडमेर गादान पटवार हल्का बाडमेर आगौर तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 3304/2274 रकबा 1.2707 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2739/2274 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान तरमीम को निरस्त करते हुए तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'बी' के अनुसार शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है। उभय पक्षों ने तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार परिशिष्ठ 'बी' के अनुसार शुद्ध की किये जाने का निवेदन किया है। तहसीलदार बाडमेर ने भी अंकित किया है कि मौजा बाडमेर गादान पटवार हल्का बाडमेर आगौर तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2025.12.09 17:30:58 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर

3304/2274 रकबा 1.2707 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2739/2274 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि की तरमीम को दुरूस्त करने हेतु मौके व रेकर्ड की जांच करने पर पाया गया कि वर्तमान में उक्त खसरान की तरमीम संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'ए' अनुसार अंकित है। मौके पर मूल खसरा 2274 के मध्य में एक डामर सड़क बनी हुई है, जिसका राजस्व रेकर्ड में अंकन नही है, जो संलग्न नक्शा परिशिष्ठ "बी" मे बरंग लाल के अनुसार है। विद्यालय भवन इस डामर सड़क के पश्चिम दिशा तथा प्रार्थी का कब्जा सड़क में पूर्व दिशा में है। सड़क प्रार्थी के कब्जे मे से निकल रही है। ऐसी स्थित में इस न्यायालय को धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत अभिलेख में लिपिकीय भूल सुधारने की जो शक्तियां है उसका प्रयोग करना, मैं उचित समझता हूं। लिहाजा मौजा बाडमेर गादान पटवार हल्का बाडमेर आगौर तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 3304/2274 रकबा 1.2707 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2739/2274 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान तरमीम को निरस्त करते हुए तहसीलदार बाडमेर की मौका रिपोर्ट के अनुसार मौके पर प्रार्थी के कब्जे व विद्यालय के निर्मित भवन संलग्न नक्शा परिशिष्ठ "बी" के अनुसार शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा बाडमेर गादान पटवार हल्का बाडमेर आगौर तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 3304/2274 रकबा 1.2707 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2739/2274 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान तरमीम को निरस्त करते हुए तहसीलदार बाडमेर की मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ "बी" के अनुसार शुद्ध किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'बी' आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बाडमेर तद्नुसार राजस्व अभिलेख में शुद्ध करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(यशार्थ शेखर)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 14.10.2025 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2025.12.09 17:30:58 IST
Reason: SelfAttested